सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री एच.के.पाण्डेय महाप्रबंधक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक 04/2019 दिनांक 25.02.2019

श्री सुनील कुमार साहू
ग्राम व मु.पो.–कांसा, तहसील–डभरा
जिला– जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
अपीलार्थी

O/o CE (EITC)
Receipt No. 156
Date 06 APR 2019
DGM (IT) / SE (O)
EE.........
Section ....

विरूद्ध

श्री सुनील कुमार खरे
जन सूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., डंगनिया, रायपुर
प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–
(दिनांक 26/03/2019 को पारित)

अपीलार्थी श्री सुनील कुमार साहू की ओर से प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो होल्डिंग कंपनी रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसे अपील प्रकरण क्रमांक 04/2019 दिनांक 25.02.2019 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री सुनील कुमार साहू ने आवेदन दिनांक 25.07.2018 के द्वारा प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी से कनिष्ठ यंत्री भर्ती परीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित बिन्दुवार जानकारी चाही गई थीः–

(अ) इस वर्ष 2018 (जे.ई.) इलेक्ट्रीकल परीक्षा परिणाम में मेरा प्राप्तांक कितना है, और मेरिट सूची रैंक क्या है।

(ब) (जे.ई.) इलेक्ट्रीकल परीक्षा परिणाम (रिजल्ट) में सभी वर्ग सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, एवं अनुसूचित जनजाति, का उच्चतम व निम्नतम कटऑफ मार्क बतायें।

(स) (जे.ई.) इलेक्ट्रीकल परीक्षा रिजल्ट में कितने अभ्याथियों को 60 अंक से अधिक अंक मिले प्राप्त किये है, और क्वालीफाई मार्क क्या है जिन्हे प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाये है।

(द) इस वर्ष (जे.ई.) इलेक्ट्रीकल परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लिये।

उक्त जानकारी जनसूचना अधिकारी के द्वारा 01 पृष्ठ में अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गई है जिससे वे असंतुष्ट है, अतएव जानकारी उपलब्ध कराने बाबत् प्रथम अपील प्रस्तुत किया है।

(3) प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./प्र.क्र. –04/2019/05 दिनांक 02.03.2019 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को दिनांक 13.03.2019 को सांय 4.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी –09 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, एवं अपीलार्थी श्री सुनील कुमार साहू को भी उनके द्वारा दिये गये पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष/तर्क प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित

किया गया। उक्त सुनवाई में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। अतएव गुण–दोष के आधार पर प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(4) निर्धारित तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा कंडिका 02/टीप में चाही गई बिन्दुवार जानकारी प्रबंधक (मा.सं.)–आठ, होल्डिंग कंपनी, रायपुर के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में संबंधित प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि **पावर कंपनी द्वारा वर्तमान में कनिष्ठ यंत्री (प्रशिक्षु) पद पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है,** अतः उक्त जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नही है। तद्पश्चात कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2424 दिनांक 28.09.2018 के माध्यम से निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदक को उक्त वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है।

(5) अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, यदि जिस विषय पर सूचना मांगी गई है। बशर्ते चाही गई जानकारी स्पष्ट व कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में उपलब्ध हो एवं अधिनियम के अनुरूप मान्य हो।

(i) सुनवाई तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) अपीलार्थी का अपील आवेदन तर्क कि जनसूचना अधिकारी द्वारा वांछित जे.ई. (इलेक्ट्रीकल) परीक्षा के रिजल्ट, के संबंध में यह उल्लेख करते हुए कि भर्ती प्रक्रियाधीन है जानकारी उपलब्ध नही करायी गई है। चूंकि भर्ती प्रकिया हो चुका है और अभ्यार्थी ज्वानिंग भी कर चुके है। ऐसे में जनसूचना अधिकारी मेरे निम्न प्रश्नों का जवाब क्यो नही दे रहे है। अतएव वांछित जानकारी उपलब्ध करायी जावें।

(iii) उक्ताशय के परिप्रेक्ष्य में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी का प्रत्युत्तर कि आवेदक द्वारा आवेदन दिनांक 25.07.2018 के तहत कनिष्ठ यंत्री (प्रशिक्षु) भर्ती परीक्षा के संबंध में जानकारी चाही गई है। अतः तत्कालीन समयावधि में भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण आवेदक को जानकारी उपलब्ध नही करायी गई है।

उल्लेखनीय है कि कनिष्ठ यंत्री (प्रशिक्षु) पदों पर चयनित हुए अभ्याथियों के पद ग्रहण तदपश्चात् रिक्त हुए पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी किया जाना था। अतः उपरोक्त परिस्थिति में उक्त जानकारी का प्रकटन विधि संगत नही था। उक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी किया जा चुका है, और आवश्यक होने पर पुनः प्रतीक्षा सूची जारी की जा सकती है, ऐसे में जानकारी के प्रकटन से भर्ती प्रकिया प्रभावित होने की संभावना है। अतएव वर्तमान परिस्थिति में उक्त भर्ती प्रक्रियाधीन मानी जावे। अतः आवेदक को बिन्दुवार जानकारी उपलब्ध नही करायी जा सकती है।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उल्लेखित कंडिका 4/टीप में, जो जानकारी/दस्तावेज अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गई है, वह उचित व नियमानुसार सही है, तथा कंडिका 5 (iii) में प्रतिअपीलार्थी के द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर, अपीलार्थी की शंका के समाधान हेतु पर्याप्त परिलक्षित होते हैं, जो तर्कसंगत है।

प्रकरण में आये तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा कंडिका 2/–टीप में कनिष्ठ यंत्री (प्रशिक्षु) पदों पर हुई भर्ती से संबंधित परीक्षा परिणाम की बिन्दुवार जानकारी/दस्तावेज चाही गई है। उपरोक्त समयावधि में उक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन था। चयन आदेश जारी होने के तद्पश्चात् चयनित अभ्यार्थियों के पदभार ग्रहण उपरान्त उक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी किया जाना था, वस्तुतः उक्त जानकारी का प्रकटन विधि संगत नही था। अतएव प्रतिअपीलार्थी के द्वारा प्रकरण में की गई कार्यवाही स्वीकार योग्य है।

जहाँ तक अपील का प्रश्न है कंडिका 5(iii) टीप के दृष्टिगत अपीलार्थी को वर्तमान परिस्थिति में वांछित जानकारी उपलब्ध नही कराया जा सकता है, क्योकि उक्त पदों पर आवश्यक होने पर पुनः प्रतीक्षा सूची जारी की जा सकती है, ऐसे में उक्त जानकारी के प्रकटन से अकारण भ्रम की स्थिति निर्मित होने की संभावना है।

तद्नुसार उल्लेखित कंडिका के दृष्टिगत उक्त दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 04/2019 दिनांक 25.02.2019) एतद् द्वारा अस्वीकार कर, नस्तीबद्ध की जाती है।

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष क्रमांक –0771–2574700

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –04/2019/08 रायपुर, दिनांक 26/03/2019

प्रतिलिपिः–

1 जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2 प्रबंधक (मा.सं.)–आठ, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3 श्री सुनील कुमार साहू, ग्राम+मु.पो.– कांसा, तहसील–डभरा, जिला–जांजगीर चांपा, (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
4 मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पताः–

सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर
जिला– रायपुर (छ.ग.) पिन – 492002
दूरभाष– 0771–2512106, 2512108

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष क्रमांक –0771–2574700